62

अति० आयु० (योजना) एम०पी०आर०
डायरी नं० 2406
दिनांक 31/12/12

दिल्ली विकास प्राधिकरण
कार्यालय निदेशक (योजना) रोहणी
दिपाली चौक, सैक्टर-3
रोहिणी, दिल्ली-11[illegible]5
दूरभाष - 27940526

मिसिल संख्या - Dir(Plg)R/1017/MP A/2007/Pt. [illegible] /642   दिनांक 27/12/12

सेवा में,

उप-सचिव (डी.डी. IA)
शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली डिवीजन)
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

Director (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. L-336
Dated 2-1-13

विषय: एम जोन से संबंधित सुझावों पर रिव्यु कर अमल करवाने हेतु।
संदर्भ: पत्र संख्या 4193/UDM/FTS-2012-DDIA (5ITBR दिनांक 11.10.12)

उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा जारी पत्र दिनांक 4.10.12 का अवलोकन करें। आपके द्वारा दिए गए सुझाव व उनके समाधान निम्नलिखित हैं।

	समस्या/सुझाव	समाधान
प्र01	औचन्दी बवाना रोड जो शाहबाद दौलतपुर से होते हुए जाती है उसके दोनों और हरित पट्टी दर्शाई गई है जबकि लाल [illegible] की प्रमुख आबादी पर हरित पट्टी नहीं बनाई जा सकती न जो [illegible] वि० प्रा० की योजना में नहीं है उसमें ऐसा क्यों दर्शाया गया है। इसे हटाया जाए।	औचन्दी बवाना रोड के दोनों तरफ हरित पट्टी का प्रावधान जोनल प्लान, जोन-एम के अनुसार एवं सैक्टर प्लान 26 के [illegible] दर्शाया गया है।
प्र02	रोहणी सैक्टर 27 से [illegible]	[illegible] सड़क अनुमोदित सैक्टर प्लान/ जोनल

Dir (MPR)
[illegible] 2/1/2013
Pl keep the copy [illegible] it to Dir(Plg) Rohini

AD(Plg) II Copy Retained. If agreed we may send this to Dir(Plg) Rohini.

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

	दौलतपुर के लाल डोरा से होकर बवाना रोड तक जो सड़क दर्शाई गई है, उसे समाप्त किया जाए।	प्लान में दर्शाई गई है।
प्र03	शाहबाद दौलतपुर विस्तार जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है उसमें बड़ी बड़ी सड़के व सुविधा परिसर दर्शाया गया है उसे समाप्त किया जाए।	शाहबाद दौलतपुर में सड़के एवं सुविधा परिसर मास्टर प्लान - 2021 के नियमानुसार प्रस्तावित एवं अनुमोदित है।
प्र04	गांव शाहबाद दौलतपुर के साथ सैक्टर 26 में जिला उद्यान दर्शाया गया है। जबकि यह भूमि गांव के लोगों की भूमि है न उसमें घनी आबादी है वहां से जिला उद्यान समाप्त किया जाए।	सैक्टर-26 में दर्शाया गया जिला उद्यान मास्टर प्लान-2021 के नियमानुसार दर्शाया गया है एवं यह क्षेत्र घनी आबादी वाला नहीं है।
प्र05	गांव शाहबाद दौलतपुर विस्तार-1 में बवाना औचन्दी रोड पर आर्या समाज मंदिर के सामने बहुत बड़ी हरित पट्टी दर्शाई गई है, उसे हटाया जाए।	हरित पट्टी अनुमोदित सैक्टर-प्लान के अनुसार दर्शाई गई है।
प्र06	गांव शाहबाद दौलतपुर की बीस सुत्री कार्यक्रम कालोनी को एम जोन की पुस्तिका में नहीं दर्शाया गया है। इसको दर्शाया जाए।	यह एक रिहायशी इलाका/क्षेत्र है जिसे सैक्टर-प्लान में दर्शाया गया है।
प्र07	गुरु तेगबहादुर कालोनी (जे.जे. कालोनी) बवाना रोड पर सैक्टर-16 रोहिणी के पास घनी आबादी में स्कूल व जिला उद्यान दर्शाया गया है। उसे हटाया जाए।	कथित कालोनी की जमीन दिल्ली स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अधीन की गई है एवं इसका विकास कार्य भी इसी विकास के अन्तर्गत है।

प्र08	गुरु तेगबहादुर कालोनी (जे.जे. कालोनी) बवाना रोड पर सैक्टर 16 रोहिणी के साथ एस.पी.एस. दर्शाया गया है उसे हटाया जाए।	यथा-
प्र09	शाहबाद दौलतपुर विधान सभा क्षेत्र की अनाधिकृत कालोनियों में से मास्टर प्लान सड़के समाप्त की जाये।	शाहबाद दौलतपुर में सड़के व सुविधा मास्टर प्लान-2021 के नियमानुसार प्रस्तावित एवं अनुमोदित है। यह एक पालिसी मैटर है जो दिल्ली सरकार एवं मास्टर प्लान विभाग, दि0वि0प्रा0 द्वारा जांचा एवं निर्देशित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विधायक महोदय ने आसवस्त किया आंर.डब्लयू.ए. इन सड़कों के निर्माण कार्य में सहायता करेगा (कापी संलग्न)
प्र010	शाहबाद दौलतपुर विस्तार के बीचों-बीच दर्शाई गई मास्टर प्लान रोड को समाप्त करने हेतु।	शाहबाद दौलतपुर के बीचों-बीच सड़क पहले से ही बनी हुई है इसी सड़क को चौड़ा किया जाने का प्रावधान दिया गया है ताकि भविष्य में यातायात की सुविधा बनी रहे।
प्र011	लाल डोरा में स्कूल, इंजीनियरिंग कालेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान व अस्पताल आदि खुलवाने की अनुमति देने हेतु।	मास्टर प्लान विभाग से संबंधित है।
प्र012	रोहणी के प्रत्येक सैक्टर में खेल के मैदान का प्रावधान करवाने हेतु	मास्टर प्लान के नियमानुसार हर सैक्टर में सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है।
प्र013	रोहणी में आडिटोरियम, स्टेडियम आदि का प्रावधान करवाने हेतु।	- यथा -
प्र014	संतो व महात्माओं के सत्संगों आदि के लिए रोहिणी में मल्टीपरपज मैदान का प्रावधान करवाने हेतु।	- यथा -

प्र015	रोहिणी के प्रत्येक 5 सैक्टरों में कब्रिस्तान व शमशान का प्रावधान करवाने हेतु	यथा –
प्र016	रोहिणी में 26, 32, 48, 60 व 90 मीटर आदि छोटे-छोटे प्लाटों को जोड़कर निर्माण करने का प्रावधान करवाने हेतु	यह एक पोलिसी मैटर है (नितिनुसार है) नार्थ दिल्ली म्युनुसिपल कारपोरेशन के अर्न्तगत है।
प्र017	एम व एन जोन के प्रत्येक दो-तीन सैक्टरों में उच्च शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएँ व स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के लिए प्रावधान करवाने हेतु	मास्टर प्लान के नियमानुसार हर सैक्टर में सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है।
प्र018	अनाधिकृत कालोनियों पर दर्शाई गई अन्य सुविधाओं को समाप्त करवा कर आर जोन दर्शाने हेतु।	यह नितिनुसार है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा तय किया जायेगा।
प्र019	अनाधिकृत कालोनी में एम जोन के तहत दर्शाई गई ग्रीन बैल्ट व अन्य सेवाओं को शीघ्र समाप्त करवाने हेतु।	यह नितिनुसार है।

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त (योजना)
2. अतिरिक्त आयुक्त (योजना)
3. ओ.एस.डी. (उपाध्यक्ष) दि०वि०प्रा० विकास सदन
4. अतिरिक्त आयुक्त (योजना) एम.पी.पी.आर. एण्ड ए.पी.

(अशोक कुमार मल्होत्रा)
सहायक निदेशक योजना ।
रोहिणी विभाग

66 p-06/c 1482/c -1198/c

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
OFFICE OF THE DIRECTOR (PLG.), ROHINI
SECTOR-3, DEEPALI CHOWK, ROHINI
DELHI-110085. PH.27940526

No.F22(1304)/2008/MP/1465 **Dated: 06.09.2011**

To

Chief Engineer (Rohini)
Delhi Development Authority,
Madhuban Chowk, Sec.14, Rohini,
Delhi-110085

Sub: Layout Plan of Unauthorized colony Shahabad Extn.II Rohini (Falling in Sectotr-17, 27 & 28 Rohini along Auchandi Bawana Marg)

Ref: Decision taken in the meeting by VC, DDA on 26.08.11 for points raised by Sh. Kulwant Rana, Hon'ble MLA.

In above said meeting at Sl. No.22, the matter regarding "To cross the main road at Shahabad Extension", following was decided:

> The Layout Plan of the unauthorized colony namely Shahbad Extn. indicating hindrances for proposed Master Plan Roads be forwarded to Chief Engineer (Rohini). The RWA has agreed to give the land for these roads in lieu of proposed rehabilitation policy of DDA. Hon'ble MLA will facilitate in this exercise to Engineering Wing, Rohini.

The Minutes of the meeting dt. 26.08.11 are still awaited.

In view of the above, please find enclosed a print of LOP of Unauthorized colony Shahabad Extn.II showing tentative Zonal Plan Road network as submitted to GNCTD through UC Cell, DDA.

(Vinod Sakle)
Director(Plg.)Rohini,
Zone-M & N

Encl: As Above (Plan copy as on/. AT P-02/c)

Copy for information to:

1. Dy. Dir.(Plg.), VC Office, DDA
2. Executive Engineer(HQ)/CC-6, DDA

06/09/2011

Director(Plg.)Rohini,
Zone-M & N

O/c